

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/योजना/गै.तक./मु.कृ.जी.क.यो./ 80/21 भोपाल, दिनांक 24.01.2017  
प्रति,

कलेक्टर,  
जिला.....(समस्त)

विषय :- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 का संशोधन बावत्।

--00--

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/विविध/3678 दिनांक 27.09.2008 द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना प्रचलित है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/योजना/गै.तक./मु.कृ.जी.क.यो./1146 दिनांक 14.01.2011 एवं पत्र क्रमांक/2171 दिनांक 06.09.2012 द्वारा उक्त योजना में आंशिक संशोधन किया गया है।

दिनांक 04.12.2016 को जम्बूरी मैदान भोपाल में आयोजित सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा कृषकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) के स्थान पर रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख मात्र) की सहायता प्रदान की जाएगी की घोषणा की गई थी, जिसके क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

अतः मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत मृत्यु होने पर योजना की कंडिका 4(1) अनुसार रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) के स्थान पर रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख मात्र) स्वीकृत की जावे। योजना की शेष शर्तें पूर्व में जारी किए गए पत्रानुसार रहेंगी। उक्त आर्थिक सहायता राशि की पात्रता इस पत्र के जारी दिनांक से प्रभावशील होंगी।

कृपया आपसे अनुरोध है कि संशोधित राशि का जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

  
(राकेश श्रीवास्तव)

प्रबंध संचालक


मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

1/2/1

क्रमांक/बोर्ड/योजना/गै.तक./मु.कृ.जी.क.यो./२/२  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक २५.01.2017

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
03. श्री अक्षय सिंह, उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
04. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....(म.प्र.)

  
24/01/17

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

०/८ भोपाल